

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता महेन्द्र पुत्र रामधनी निवासी माझा चहोड़ा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 758 / 2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण: -प्रभारी पुलिस चौकी पौली उ0नि0 श्री विवेकानन्द तिवारी मय हमराह ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1488 द्वारा विवाद को कराया गया शांत – पीआरवी 1488 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 03940 से कालर ने जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 03 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराकर प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना महुली को सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 विनोद ओझा, आ0 राजीव कुमार यादव, हो0चा0 बन्धु प्रसाद।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 218 वाहनो से 202700 रु0 सम्मन शुल्क
वसूल किया गया**

आज दिनांक 30-12-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन /
संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात
द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 218 वाहनो से 202700 रु0
सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 30-12-2020

**19 अदद एटीएम कार्ड व 01 अदद मोबाइल फोन के साथ एटीएम से हेरा फेरी व
जालसाजी करने वाला अंतर्जनपदीय जालसाज गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के मार्गदर्शन , अपर पुलिस अधीक्षक
श्री संजय कुमार के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री अम्बरीश भदौरिया** के निकट
पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम व वांछित अभियुक्त/वारंटियो की गिरफ्तारी
हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 29.12.2020 को प्रभारी निरीक्षक धनघटा के
नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर धनघटा स्थित स्टेट बैंक के
एटीएम के पास से रेकी कर एटीएम से हेराफेरी व जालसाजी कर पैसा उड़ाने वाले अन्तर्जनपदीय
जालसाज नाम पता दुर्गा प्रसाद दूबे पुत्र स्व0 ओमप्रसाद दूबे, उम्र 28 वर्ष, निवासी दुबौली
रामचरण थाना मनिकापुर, जनपद गोण्डा को मय 19 अदद एटीएम कार्ड (विभिन्न बैंकों के) व
01 अदद मोबाइल फोन एंड्रायड के साथ गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 759 /
2020 धारा 419 / 420 / 413 / 41 / 411 भादवि पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना
किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

दुर्गा प्रसाद दूबे पुत्र स्व0 ओमप्रसाद दूबे, उम्र 28 वर्ष, निवासी दुबौली रामचरण थाना मनिकापुर,
जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 759 / 2020 धारा 419 / 420 / 413 / 41 / 411

बरामदगी:-

1-19 अदद एटीएम कार्ड (विभिन्न बैंक)

2-01 अदद मोबाइल एंड्रायड वीवो कंपनी

संक्षिप्त विवरण:-

पूछताछ मे अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हमारा एक संगठित गिरोह है, हम लोग जनपद संतकबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, अयोध्या आदि आसपास के जनपदों में घूम फिरकर एटीएम मशीन पर लाइन मे एटीएम धारकों को अपने बातों में फसाकर एटीएम बदलकर उनके खातों से पैसा आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं तथा जो पैसा हम लोगों को मिलता है उसे आपस में बांट लेते हैं ।

मौके से फरार 03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अलग से टीम बनाकर गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- प्रभारी निरीक्षक धनघटा श्री रवीन्द्र कुमार गौतम, निरीक्षक श्री शशिभूषण पाण्डेय, उ0नि0 श्री पवन कुमार, का0 प्रवीण तिवारी, का0 रोशन मणि त्रिपाठी ।